न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय **स्वत्व वाद सं0-96/21**
अवर न्यायाधीश **सीआईएस संख्या -96/21**
अरेराज, पूर्वी चम्पारण। **आदेश** **दिनांक 29.1.2024**

दिनांक 29.1.2024 वाद पुकारा गया। उभय पक्ष उपस्थित है मामले में वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदव दिनांक 24.01.2024 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है वादी का कथन है कि मामले में तीन दस्तावेजों की पक्की नकल वादी के द्वारा दाखिल की गयी है। जो कि लोक दस्तावेज है। अतः यह दस्तावेज लोक दस्तावेज है अतः उसे प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाए।

प्रतिवादी की तरफ से प्रतिउत्तर नहीं दिया गया।

उभय पक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया । अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामले में वादी के द्वारा न्यायालय में प्रदर्श करने हेतु जो आवेदन दिया गया है उसमें तीन दस्तावेज का जिक्र है दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं ऐसे दस्तावेजों का प्रदर्श अंकित होना आवश्यक है चूंकि ये आवेदन वाद बिंदू के गठन के बाद दिया गया है चूंकि दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं अतः आवेदन स्वीकृत किया जाता है और दस्तावेज को प्रदर्श के रूप में अंकित करने की इजाजत दी जाती है। वाद दिनांक .... अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित तथा संशोधित

अवर न्यायाधीश तृतीय
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)